निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–सुश्री अंजु शर्मा , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या /24/2018 वाद

निर्णय दिनांक 19.11.2020

उनवान

1. श्री नाथूलाल पुत्र कालू जी गोदपुत्र तुलछीराम उर्फ तुलछा जी जाति मेघवाल उम्र 47 साल निवासी भदेसर तह0 भदेसर

.....वादी

।। बनाम ।।

1. बालू पिता कालु जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क नि0 भदेसर
2. रतन पिता जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क नि0 भदेसर

.....प्रतिवादीगण

दावाः– अन्तर्गत धारा 88,188,209 रा0का0अधि0

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188, 209 के तहत वाद पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि , वाके मोजा गाडरियो की ढाणी पटवार मण्डल भदेसर तहसील भदेसर में खाता संख्या 106 की आ0नं0 348/182 रकबा 0.2900 हेक्टर लगानी 10.44 रूप्ये, आ0नं0 350/182 रकबा 0.0600 हेक्टर लगानी 2.16 रूपये, आ0नं0 365/192 रकबा 0.0800 हेक्टर लगानी 2.88 रूपये कुल किता 3 कुल रकबा 0.4300 हेक्टर कुल लगानी 15.48 रूपये स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदी पेश हैं।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात तुलछा उर्फ तुलसीराम चमार की खातेदारी की दर्ज रेकार्ड थी और उनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात उनकी पत्नी लहरी बेवा तुलछा चमार के नाम पर दर्ज हुई तथा लहरीबाई की मृत्यु भी दिनांक 30.12.2011 को हो चुकी है तथा वादी को लेहरीबाई व उनके पति तुलछा उर्फ तुलसीदास मेघवाल ने बाल्यकाल से ही वादी के माता पिता की पूर्ण सहमति से गोद लिया था तभी से वादी अपने गोद पिता तुलछा उर्फ

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ

Scanned by TapScanner
Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:57:55 IST
Reason: SelfAttested

तुलसीराम व गोदीमाता लेहरीबाई के साथ ही रहता आ रहा हैं पूर्व में गोदनामा के संबंध कोई लिखापढी नहीं होने पर लहरीबाई ने वादी के पक्ष में एक गोदनामा भी दिनांक 28.12.2010 को रूबरू गवाहान निष्पादित किया तथा लेहरीबाई व उसे पति की सेवा चाकरी एव पुत्र के रूप में वादी ने की थी और लेहरीबाई व उसके पति का सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम वादी ने एक पुत्र के रूप में किया और समाज के मौतबीर पंचो ने लेहरीबाई की मृत्यु के बाद वादी को लेहरीबाई की समस्त चल अचल सम्पत्ति का वारिस मान कर सामाजिक पगडी वादी को बंधाई तथा वादी वादग्रस्त आराजीयात पर अपने बाल्यावस्था से जब से वादी को लेहरीबाई व उसके पति तुलछा उर्फ तुलसीराम ने गोद लिया तभी से वादी वादग्रस्त आराजीयात पर शांति पूर्वक बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं, गोदीपुत्र की हैसियत से वादी के समस्त राईट टाईटल इन्ट्रेस्ट वादग्रस्त आराजीयात में निहित हो चुके है और एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी के समस्त हक अधिकार वादग्रस्त आराजीयात में निहित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में वादी उक्त आराजीयात की खातेदारी घोषणा धारा 63(1)(4) रा0का0अधि0 के तहत अपने नाम पर कराने का अधिकारी हैं और राजस्व अभिलेखो में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

3- यह कि वर्तमान समय में जमीनो की कीमते बढ जाने से वादी के भाईयो प्रतिवादी सं0 1 व 2 की नियत में बदयांति आ जाने से वो वादी को यह धमकीया दे रहे कि वादग्रस्त आराजीयात वो उनके नाम पर करा लेंगे, जबकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा व अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं बनता हैं, इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्रचलित करा कर पाबंद कराने का अधिकारी हैं कि वो वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल नहीं करे न करावें तथा वादग्रस्त आराजीयात की मौके कब्जे व रेकार्ड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे न करावे व वादी को शांति पूर्वक उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करने देवे। यदि प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वादी को भारी अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं हो पायेगी।

4- यहकि वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद कारण अभी हाल ही में दिनांक 20.06.2018 से पैदा हुआ, जबकि प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम पर दर्ज कराने की

उपखण्ड अधिकारी, भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:57:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

धमकी दी और वादी का हिस्सा मानने से इंकार किया, से पैदा होकर वाद अन्दर अवधि पेश हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जावे तथा निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावेः–

(क)– यह कि वाद पत्र में वर्णित आधारो पर वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजीयात की खातेदारी घोषणा वादी के नाम पर की जाकर वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम पर खातेदारी में दर्ज कराई जावें।

(ख)– यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादग्रस्त आराजीयात से वादी को जबरन बेदखल नहीं करें न करावें तथा वादग्रस्त आराजीयात की मौके कब्जे व रिकार्ड की स्थिति में कोइ परितर्वन नहीं करें न करावें व वादी को शांति पर्वक उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करने देवें ।

(ग)– यह कि दौराने दावा यदि प्रतिवादीगण वादी को जबरन बेदखल करने में सफल हो जावे तो वादी को कब्जा दिजाया जावे ।

(घ)– यह कि खर्चा मुकदमा व अन्य सहायता जो वादी के हित में न्यायोचित हो वह दिलाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया बरोज पेशी प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री उदयलाल गायरी ने वकालत नामा प्रस्तुत कर वादोत्तर प्रस्तुत किया गया कि :–

1. वाद पत्र की चरण संख्या एक वादी स्वंय साबित करें उक्त खाता संख्या एवं आराजी नमबर में अंतर है जो वादी स्वंय दस्तावेज से साबित करें ।
2. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या दो में अंकित तथ्य नाथूलाल के गोद जाने के बात स्वीकार है नाथूलाल को तुलछा ने गोद रखा किन्तु गोदनामा जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है ।
3. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या तीन अस्वीकार है क्योंकि चरण संख्या तीन में अंकित तथ्य मनगंढत वं असत्य अंकित किये है प्रतिवादीगण को वादी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करा सकते है क्योंकि उक्त आराजीयात वादी के नाम पर अंकित नहीं है ।
4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या चार अस्वीकार है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 12:37:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

5. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या पांच कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है ।

प्रस्तुत वाद एवं जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकी निर्माण किया गया :'

तनकी संख्या 1 – आया वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीया को गोदीपुत्र होने लेहरी बाई बेवा तुलछा चमार की खातेदारी की आराजीयात अपने नाम कराने का अधिकारी हे ।

तनकी संख्या 2 – आया वादी गोद जाने से अपने प्राकृतिक (जायन्दा पिता की सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं है ।

वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. मु0लहरी बाई बेवा तुलसीराम मेघवाल द्वारा वादी नाथूलाल पिता कालू मेघवाल के पक्ष में निष्पादित गोदनामा दिनांक 28.12.2010 प्रदर्श–1
2. लेहरी बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 2
3. नकल जमाबन्दी मौजा गाडरियों की ढाणी खाता संख्या 106 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–3
4. नकल जमाबन्दी मौजा गाडरियों की ढाणी खाता संख्या 74 संवत् 2073–2076 प्रदर्श–4
5. फोटो प्रति नकल जमाबन्दी मौजा गाडरियों की ढाणी खाता संख्या 74 संवत् 2056–2059
6. फोटो प्रति नकल जमाबन्दी मौजा गाडरियों की ढाणी खाता संख्या 102 संवत् 2076
7. गवाह श0प0 आ0 18 नियम 4 जा0दी0 श्री नाथूलाल पिता कालू गोदी पुत्र तलसीराम उर्फ तुलछा मेघवाल निवासी भदेसर पी0डब्लू–1
8. गवाह श0प0 आ0 18 नियम 4 जा0दी0 श्री कालू पिता प्रताप मेघवाल निवासी साल का खेड़ पी0डब्लू–2
9. गवाह श0प0 आ0 18 नियम 4 जा0दी0 श्री बालू पिता जोरू मेघवाल निवासी भदेसर पी0डब्लू–3
10. गवाह श0प0 आ0 18 नियम 4 जा0दी0 श्री भेरूलाल पिता हीरा मेघवाल निवासी भदेसर पी0डब्लू–4

खण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:37:55 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा के समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये ।

बहस सुनी गयी । तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

तनकी संख्या 1 – आया वादी वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीया को गोदीपुत्र होने से लेहरी बाई बेवा तुलछा चमार की खातेदारी की आराजीयात अपने नाम कराने का अधिकारी है । इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर है । जिसके लिये वादी ने प्रदर्श–1 गोदनामा प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर सामाजिक रीति रिवाज अनुसार तुलसीराम की पत्नी लेहरी बाई ने नाथूलाल वादी को गोद रखा गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा प्रदर्श–3 जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजीयात लहरीबाई के नाम खातेदारी में दर्ज है । जिस पर वादी काबिज है । तथा गोदनामा को लेकर विपक्षीगण ने भी कोई आपत्ति नहीं उठाई है स्वंय वादी अपनी जिरह में स्वीकार करते है कि वादी के प्राकृतिक पिता कालू की मृत्यु हो चुकी है तथा वादी तुलछा जी के गोद चला गया था तथा उसके प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं है तुलछा जी की सम्पत्ति में हक हिस्सा है जो वर्तमान में गोदीमाता लेहरी बाई के नाम दर्ज है जो वादी ही के कब्जे काश्त में है जो उसके नाम कराई जावे । वादी के तुलछा के गोद जाना निर्विवाद रहने से यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है ।

तनकी संख्या 2 – आया वादी गोद जाने से अपने प्राकृतिक (जायन्दा पिता की सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं है । वादी स्वय अपने वाद में एवं बयानों में स्वीकार करते है सामाजिक रीति रिवाज अनुसार तुलसीराम की पत्नी लेहरी बाई ने नाथूलाल वादी को गोद रखा गया है जिनकी मृत्यु हो चुकी है तथा प्रदर्श–3 जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजीयात लहरीबाई के नाम खातेदारी में दर्ज है । जिस पर वादी काबिज है प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति पर वादी के दोनों भाईयों प्रतिवादी का ही कब्जा हे तथा वे ही उपयोग उपभोग कर रहें है । कानूनन भी किसी व्यक्ति के अन्यत्र गोद चले जाने पर उसका प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में हक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाते है । अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है ।

तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में एवं तनकी नम्बर 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत होने से वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा गाडरियो की ढाणी पटवार

उपखण्ड अधिकारी
मदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी मदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:37:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मण्डल भदेसर तहसील भदेसर की खाता संख्या 106 की आ0नं0 348/182 , 350/182 365/192 कुल किता–3 कुल रकबा 0.4300 हेक्टेयर भूमि वादी नाथूलाल के खातेदारी की घोषित की जाती है तथा लहरी पत्नि तुलछा का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वादी नाथूलाल का अपने प्राकृतिक पिता कालू की विरासत से प्राप्त खाता संख्या 74 की आराजी नम्बर 191 रकबा 0.3000 हैक्टेयर से नाम विलोपित किया जावे तथा लहरी बाई के स्थान पर वादी का नाम संस्थित किया जावे । इसी प्रकार अन्य खाते यदि कोई हो तो उनमें भी लहरी बाई पत्नि तुलछा के स्थान पर वादी का नाम अंकन किया जावे तथा वादी के प्राकृतिक पिता कालू से प्राप्त विरासतन यदि वादी को हक हिस्सा प्राप्त हुआ हो तो वादी का नाम विलोपित किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:57:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)

बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

श्री नाथूलाल पुत्र कालू जी गोदपुत्र तुलछीराम उर्फ तुलछा जी जाति मेघवाल उम्र 47 साल निवासी भदेसर तह0 भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....वादी

।। बनाम ।।

1. बालू पिता कालु जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क नि0 भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ
2. रतन पिता जी जाति मेघवाल उम्र वयस्क नि0 भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ

.....प्रतिवादीगण

दावाः– अन्तर्गत धारा 88,188,209 रा0का0अधि0

प्रकरण सं0 24/2018

वादी की और से वकील श्री जगदीशचन्द मेनारिया एवं प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री उदयलाल गायरी की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 19.11.2020 .को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि मौजा गाडरियो की ढाणी पटवार मण्डल भदेसर तहसील भदेसर की खाता संख्या 106 की आ0नं0 348/182 , 350/182 365/192 कुल किता–3 कुल रकबा 0.4300 हेक्टेयर भूमि वादी नाथूलाल के खातेदारी की घोषित की जाती है तथा लहरी पत्नि तुलछा का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा वादी नाथूलाल का अपने प्राकृतिक पिता कालू की विरासत से प्राप्त खाता संख्या 74 की आराजी नम्बर 191 रकबा 0.3000 हैक्टेयर से नाम विलोपित किया जावे तथा लहरी बाई के स्थान पर वादी का नाम संस्थित किया जावे । इसी प्रकार अन्य खाते यदि कोई हो तो उनमें भी लहरी बाई पत्नि तुलछा के स्थान पर वादी का नाम अंकन किया जावे तथा वादी के प्राकृतिक पिता कालू से प्राप्त विरासतन यदि वादी को हक हिस्सा प्राप्त हुआ हो तो वादी का नाम विलोपित किया जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 19–11–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 12:57:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner